Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में पंचायती राज का उद्गम

कृष्णा राजावत*

* शोधार्थी, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालय) उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – भारत जैसे महादेश में जहाँ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित है। और इतने बड़े लोकतान्त्रिक देश में केवल केन्द्रिय सरकार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है की यह समुचे देश कि शासन व्यवस्था का निर्वाह कर सकेगें चाहे वह कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो समस्याएँ भी कई स्तर की होती है, कुछ राष्ट्रीय स्तर की, कुछ राज्य स्तर की लेकिन कुछ समस्याएँ विशुद्ध स्थानीय होती है जिनका समाधान धरातल के दृष्टि कोण पर ही निर्भर करता है और यह धरातल की समस्याएँ और उनका समाधान ही स्थानीय स्वशासन कि संस्थाओं को जन्म देता है।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायत के सम्बन्ध में कहा – 'यदि हमारी आजादी को जनता की आवाज का प्रतिनिधि बनाना है तो पंचायतो को अधिकाधिक शक्ति सम्पन्न बनाना होगा।'

अत: महिलाओं की इन संस्थाओ में क्या वास्तविक भूमिका है पर कई शोध हुए तथा शोध निरंतर जारी है।

प्रस्तावना – भारत में पंचायती राज व्यवस्था नयी नहीं है अपितु यह प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान रही है। भारत में यह हजारों वर्षो पूर्व की व्यवस्था है।भारत के प्रचीन ग्रंथो में इस व्यवस्था के चिन्ह देखे जा सकते है भारत प्राचीन काल से ही ग्राम प्रधान रहा है। प्राचीन काल में मगध, नालन्दा, तक्षशिला, और अन्य कई राज्य थे। वही ग्रामीणा क्षैत्र में स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम पंचायते विद्यमान थी। पंचायती राज व्यवस्था को विभिन्न कालो के आधार पर विभाजित किया जा सकता है, जैसे –

1. प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज,
2. मध्य कालीन पंचायती राज व्यवस्था,
3. ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन,
4. स्वतन्त्र भारत में ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था

विभिन्न कालो में पंचायती राज संस्थाओ पर अध्ययन से यह ज्ञात होता है की यह संस्थाएँ अलग–अलग स्वरूप व संरचना के साथ भारत की राज व्यवस्था का अभिन्न अंग रही है।

लेकिन स्वतन्त्रता के पश्चात् संविधान सभा ने राज व्यवस्था को लेकर एक लम्बी बहस शुरू हो गई। गाँधी जी ने एक ऐसे आदर्श राज व्यवस्था का सपना देखा जिसमें ग्रामीण समुदाय की अहम भूमिका है। गाँधी जी की मूलत: मान्यता थी की सत्ता ऊपर से नही अपितु ग्राम पंचायत से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय पंचायत तक जानी चाहिए। गाँधी जी ने कांग्रेस महासमिति के समक्ष राज व्यवस्था को लेकर दो बार अपनी योजना प्रस्तुत की पहली 1946 में और दूसरी बार 1948 में।

कई बुद्धिजीवियो ने जैसे – श्री दामोदर सेठ, श्री सिब्बल लाल सक्सेना, श्री अय्यर, मेटकाफे ने ग्रामीण गणतंत्रो की भूरी–भूरी प्रषंसा की थी।

मेटकाफे के वक्तव्य को डॉ. अम्बेडकर ने अलग तरह से प्रतिपादित किया उनका तर्क था की मेटकाफे का यह आकलन रूमानी है और वास्तविकता से परे है और उन्होने अपनी व्याख्या करते हुए पंचायती राज के तर्क को पूर्णत: अस्वीकृत कर दिया।

अत: भारत की संविधान सभा ने पंचायती राज के पक्ष में निर्णय न लेकर संसदीय प्रणाली के पक्ष में निर्णय लिया। पंचायती राज की स्थापना को महत्ता को स्वीकार करते हुए इसे संविधान के चौथे अध्याय में डाल दिया।

पाँच के दशक में पंडित नेहरू के नेतृत्व में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण विकास योजना के रूप में शुरू हुआ। संक्षेप में यदि कहे तो पंचायती राज की स्थापना को गति प्रदान करने के लिये और उसे स्थापित करने के लिये इस योजना का महत्वपूर्ण हाथ है।

सन् 1957 में इसी विकास योजना के सफल संचालन के लिये बलवन्त राय मेहता समिति की नियुक्ति हुई। फिर 1978 में अशोक मेहता समिति, हनुवन्त राय समिति, जी.वी. के समिति, डॉ. एल.एम.सिंघवी समिति आदि समितियों का गठन किया गया।

पंचायती राज की संस्थाओ की शक्तियो संरचना और किस प्रकार विकस की वाहक बनावे इस पर जो समितिया बनी सबकी राय थी की इन्हें आधारभूत ईकाई बनाया जाये। सभी समितियो का सार संक्षेप में यह है कि इन्हें समुचित शक्तिया दी जाये दूसरा इन्हें अधिक से अधिक स्वायत्ता प्रदान कि जाये और साथ ही समितियो को वित्तिय संसाधन उपल्बध करवाने की सिफारिश की।

73 वां संविधान संशोधन व 74 वां संविाधान संशोधन को हम स्थानीय स्वशासन की ईकाईयो के इतिहास में मील का पत्थर कह सकते है। इन संस्थाओ को प्रणवान व पुर्नजीवित करने का श्रैय श्री राजीव गाँधी को दे तो कोई अतिशयोक्ति नही होगी।

73 वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तन देखे जा सकते है। इस संशोधन के माध्यम से पहली बार महिलाओं, अनुसुचित जातिओ, जनजातियों जैसे कमजोर वर्ग को व्यापक स्तर पर आरक्षण से प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया है। इस वर्ग

की आवक से न केवल राजनिति के क्षैत्र में अपितु सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के आसार दिखाई देते है। इससे राजनितिकरण की प्रकिया तीव्र होगी। जो सामाजिक आर्थिक बदलाव का मार्ग भी प्रशस्त करेगी ऐसी आशा की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आर. एस. दरड़ा फ्रॉम प्युडिलीज्म टू डेमोक्रेसी, दिल्ली 1971 पृष्ठ 283
2. आर. एस. दरड़ा लोकल गर्वनमेंट ए कम्पेरेटिव स्टडी, 1985, पृष्ठ 32-33
3. वही पृष्ठ 36-37
4. रविन्द्र शर्मा, विपेज पंचायत इन राजस्थान, जयपुर 1986, पृष्ठ 18
5. श्वेता मिश्रा, डेमोक्रेटिक डिसेन्टरालाइजेशन इन इंडिया, नई दिल्ली 1994 पृष्ठ33-33
6. पंचायती राज कानून संग्रह, जयपुर 1986 पृष्ठ 48
7. वह पृष्ठ 48
8. वही पृष्ठ 59
9. इकबाल नारायण, पंचायतीराज एडमिनिस्ट्रेषन इन राजस्थान, नई दिल्ली, 1973 पृष्ठ 4
10. वही पृष्ठ 5-6
11. श्री कृष्ण दत्त शर्मा एवं सुनीता दाधिच, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद्, अधिनियम, जयपुर 1983 पृष्ठ 122
12. वही पृष्ठ 128-129
13. वही पृष्ठ 130
14. हैनरिक मैडिक, ए स्टडी ऑफ रूरल लाईफ गर्वमेंट इन इंडिया, लंदन 1970, पृष्ठ 102
15. इकबाल नारायण, एम.वी. माथुर एवं अन्य, पंचायतीराज इन राजस्थान, जयपुर, 1966 पृष्ठ 60-65
16. वही पृष्ठ 60-65
17. वही पृष्ठ 58
18. पंडित जवाहर लाल नेहरू, सामुदायिक विकास एवं पंचायतीराज के राज्य मंत्रियो के सम्मेलन में उद्धोधन, नई दिल्ली, 3 अगस्त 1962
19. सादिक अली समिति रिपोर्ट, राजस्थान सरकार जयपुर 1963, पृष्ठ 3
20. वही पृष्ठ 16-17
21. वही पृष्ठ 20
22. वही पृष्ठ 21-22
23. सादिक अली रिपोर्ट, राजस्थान सरकार, जयपुर 1963, पृष्ठ 52-53
24. वही पृष्ठ 24-25
25. वही पृष्ठ 25-26
26. गिरधारी लाल व्यास समिति (आदेश संख्या एफ.एड./3926 एड.एम./71 दिनांक 8 नवम्बर1971) पृष्ठ 5-7
27. वही पृष्ठ 154-163
28. वही पृष्ठ 164-165
29. बसन्ती लाल बाबेल, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 जयपुर, वही पृष्ठ 5 धारा -4
30. वही पृष्ठ 16 धारा 6
31. वही पृष्ठ 16 धारा 5
32. वही पृष्ठ 17 धारा 7
33. वही पृष्ठ 22 धारा 23
34. वही पृष्ठ 84-86, धारा 51
35. वही पृष्ठ 53 धारा 23
36. वही पृष्ठ 40
37. वही पृष्ठ 41
38. वही पृष्ठ 94

****